



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2002 — वैशाख 4, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक 2843/21-अ/प्रारूपण/01—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 12-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.एस. उन्नावेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002

अनुक्रमणिका

अध्याय-एक

प्रारंभिक

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय - दो

निवेश प्रोत्साहन अधिकारी

3. जिला निवेश प्रोत्साहन समिति.
4. जिला निवेश प्रोत्साहन समिति का गठन.
5. संभागीय प्रोत्साहन समिति के कृत्य एवं अध्यारोहण की शक्तियां.
6. संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति.
7. संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति का गठन.
8. संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति के कृत्य एवं अध्यारोहण की शक्तियां.
9. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड.
10. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन.
11. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कृत्य एवं अध्यारोहण की शक्तियां.

अध्याय - तीन

निवेशकों के लिए सेवाएं

12. निवेशक सम्पर्क केन्द्र.
13. निवेशक के लिए सुविधा सेवाएं.
14. स्थानीय समन्वय समिति.
15. गोपनीयता.
16. अंतःकालीन उपबन्ध.

अध्याय - चार

निवेशक की बाध्यताएं

17. निवेश की प्रतिबद्धता.
18. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिबद्धता.

अध्याय - पांच

अपवाद

19. नामंजूर करने की आपवादिक आधार.

20. नियम बनाने की शक्ति.

अनुसूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को अग्रसर करने के लिए विभिन्न आर्थिक सेक्टरों में निवेश करने का आशय रखने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में, जिसके अंतर्गत निगमित निकाय भी आते हैं, इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अधिकारों को निहित करके और ऐसे निवेश को पारदर्शी प्रक्रिया तथा कार्यप्रणाली के माध्यम से सुविधापूर्ण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित किए गए अधिकरण या अभिकरणों को सशक्त करने तथा निवेशकों और छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वोत्तम हितों को पारस्परिक रूप से फायदा पहुंचाने और ऐसे अभिकरणों पर उनको सीपे गए कृत्यों को विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान पूरा करने हेतु कतिपय बाध्यताओं एवं उत्तरदायित्वों को अधिरोपित करने के लिए औद्योगिक तथा अन्य निवेश के प्रोत्साहन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय - एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार,
तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002) है.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह उस तारीख से, जैसे कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (एक) "बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा 7 के अधीन राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड;
- (दो) "जिला समिति" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन जिला निवेश प्रोत्साहन समिति;
- (तीन) "संभागीय समिति" से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति;
- (चार) "औद्योगिक सुविधा सेवाएँ" से अभिप्रेत है ऐसी सहायता जो निवेशक को राज्य सरकार द्वारा उस समय से उपलब्ध कराई जाएगी जब वह विधिमाम्य परियोजना प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को प्रस्तुत करता है और वाणिज्यिक उत्पादन करता है;
- (पांच) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार;
- (छः) "सरकारी अभिकरण" से अभिप्रेत है सरकार का कोई विभाग या अन्य निगमित निकाय जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, सरकार के स्वामित्व या उसके नियंत्रण में हो;
- (सात) "निवेश" से अभिप्रेत है परियोजना से संबंधित समस्त या कोई व्यय जिनमें प्रारंभिक तथा पूर्व प्रवर्तन व्यय, पूंजीगत खर्च, भूमि का पट्टा तथा उपस्कर, सन्निर्माण के दौरान ब्याज तथा

प्रशासनिक व्यय आते हैं;

- (आठ) "निवेशक" से अभिप्रेत है भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनियां, लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का संख्यांक-2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट न्यास और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों एवं उसका प्राधिकृत नाम-निर्देशित और उसमें सम्मिलित है कोई अन्य निगमित निकाय जिनमें तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के अधीन या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की ऐसी सुसंगत नीतियों के अधीन, जो ऐसे निवेश के समय लागू की जाएं, भारत में निवेश करने के लिए अर्हित भारत के बाहर के निकाय;
- (नौ) "स्थानीय समन्वय समिति" से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित कोई समिति;
- (दस) "स्थानीय शासन" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन गठित कोई नगर पालिक निकाय, चाहे वे किसी भी नाम से जानी जाती हो, और उसके अनुच्छेद 243-ख के अधीन गठित की गई पंचायतें;
- (ग्यारह) "परियोजना" से अभिप्रेत है निवेशक द्वारा राज्य में हाथ में ली जाने वाली कोई परियोजना जिसमें वह निवेश करना प्रस्तावित करता है;
- (बारह) "परियोजना प्रभावित व्यक्ति" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है वे समस्त व्यक्ति जो विस्थापित हुये हैं या जिनके स्वामित्व की भूमि अधिग्रहित की गई है;
- (तेरह) "सचिव" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का कोई सचिव जो किसी भी नाम से जाना जाता हो.

अध्याय - दो

निवेश प्रोत्साहन प्राधिकारी

3. (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक समिति गठित करेगी जो औद्योगिक अथवा अन्य परियोजनाओं के प्रोत्साहन एवं क्रियान्वयन को सुविधापूर्ण (सुकर) बनाने के लिए जिला निवेश प्रोत्साहन समिति के रूप में अभिहित की जायेगी. जिला निवेश प्रोत्साहन समिति.
4. जिला निवेश प्रोत्साहन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :- जिला निवेश प्रोत्साहन समिति का गठन.
- (क) चेयर पर्सन, जो राजस्व जिले का कलेक्टर होगा.
- (ख) जिले में से पांच से अधिक ऐसे व्यक्ति जैसा कि राज्य सरकार उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, श्रम तथा शिक्षा के क्षेत्र में से नाम-निर्दिष्ट करें.
- (ग) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का महाप्रबंधक, जिसे किसी भी नाम से अभिहित किया जाए समिति का पदेन संयोजक होगा.
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का प्रतिनिधि जो कार्यपालन यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, या जिसे किसी भी नाम से अभिहित किया जाए.

- (ड) राज्य सरकार के श्रम विभाग का नाम-निर्देशिती जो सहायक आयुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- (च) राज्य सरकार के वन विभाग का नाम-निर्देशिती जो वनगण्डलाधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- (छ) राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग का नाम-निर्देशिती जो कार्यपालन यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- (ज) राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग का नाम-निर्देशिती जो कार्यपालन यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- (झ) राज्य सरकार के खनिज संसाधन विभाग का नाम-निर्देशिती जो जिला खनिज अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- (ञ) राज्य शासन के कृषि विभाग का नाम-निर्देशिती जो उप संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- (ट) सुसंगत स्थानीय शासन का अध्यक्ष जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित की जाना प्रस्तावित है या उसका ऐसा नाम-निर्देशिती जो शहरी निकाय की दशा में आयुक्त या नगर पालिक अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो या किसी जिला पंचायत की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.
- (ठ) राज्य सरकार के आवास तथा पर्यावरण विभाग का नाम-निर्देशिती जो नगर तथा ग्राम निवेश संगठन के सहायक संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो.

जिला निवेश प्रोत्साहन समिति के कृत्य एवं अप्यारोहण की शक्तियाँ.

5.

- (1) राज्य की विधान सभा द्वारा अधिनियमित तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक जिला समिति, परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के प्रयोजन के लिए जिले के भीतर किसी स्थानीय शासन की या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी या एजेंसी की शक्तियाँ विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में प्रयोग करेगी :-

- (क) किसी परियोजना या परियोजनाओं के लिए पहचान किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटित करना;
- (ख) विद्युत शक्ति को सम्मिलित करते हुए जल के स्रोतों तथा अन्य उपयोगिताओं की पहचान, उनका आवंटन और उन्हें सुविधापूर्ण बनाना;
- (ग) स्थानीय शासन से परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों के संबंध में समस्त अनुमोदन, एवं
- (घ) श्रम कल्याण से संबंधित मामलों का अनुमोदन, यदि कोई हो, लेना.

- (2) जिला समिति प्रत्येक माह में कम से कम एक सम्मिलन करेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी भी समय लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगी कि जिला समिति का सम्मिलन आयोजित किया जाए और तब समिति शीघ्रप्रतिशीघ्र सम्मिलन आयोजित करने के लिए अग्रसर होगी और किसी भी मामले में अधिकतम सात कार्य दिवस में ऐसे मामले का,

जो उसे निर्दिष्ट किया जाए, निपटारा करेगी।

- (3) जिला समिति के सदस्य अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं को विहित कालावधि में उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त अथवा पृथक् रूप से उत्तरदायी होंगे, परन्तु यदि किसी कारणवश निर्धारित कालावधि का पालन नहीं किया जा सकता हो, तो निर्धारित कालावधि समाप्ति के पूर्व निवेशक एवं संभागीय समिति को लिखित में सूचना देनी होगी।

6. (1) राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व संभाग के लिए एक समिति गठित करेगी, जो औद्योगिक अथवा अन्य परियोजनाओं के प्रोत्साहन एवं क्रियान्वयन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति के रूप में अभिहित की जाएगी।

संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति।

7. संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति का गठन।

- (क) चेयर पर्सन, जो राजस्व संभाग का आयुक्त होगा।
- (ख) पांच से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, श्रम और शिक्षा के क्षेत्र में से नाम-निर्दिष्ट करें।
- (ग) उस जिले का कलेक्टर जिसमें परियोजना प्रस्तावित है।
- (घ) छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का चेयर पर्सन या उसका नाम-निर्देशिनी जो मुख्य अभियन्ता की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (ङ) श्रम से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव या उसका नाम-निर्देशिनी जो उप आयुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (च) वन से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव या उसका नाम-निर्देशिनी जो वन संरक्षक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (छ) जल संसाधन से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव या उसका नाम-निर्देशिनी जो मुख्य अभियन्ता की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (ज) लोक निर्माण से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव या उसका नाम निर्देशिनी जो अधीक्षण यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (झ) खनन से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव या उसका नाम-निर्देशिनी जो संयुक्त संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (ञ) कृषि से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव या उसका नाम-निर्देशिनी जो संयुक्त संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (ट) संबंधित स्थानीय शासन का चेयर पर्सन जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित की जाना प्रस्तावित है, या उसका नाम-निर्देशिनी जो शहरी निकाय के मामले में आयुक्त या नगर पालिक अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो या जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।

संभागीय निवेश
प्रोत्साहन समिति के
कृत्य एवं अध्यारोहण
की शक्तियाँ.

8.

- (ठ) आवास एवं पर्यावरण से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव या उसका नाम-निर्देशिती जो नगर तथा ग्राम निवेश संगठन के उप संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
- (ड) उद्योगों से संबंधित मामलों के भारसाधक सचिव का नाम-निर्देशिती जो संयुक्त संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, समिति का पदेन संयोजक होगा।
- (1) राज्य की विधान सभा द्वारा अधिनियमित तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक संभागीय समिति, निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के प्रयोजन के लिए क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय शासन की या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी या अधिकरण/एजेंसी की शक्तियों का निम्नलिखित के संबंध में प्रयोग करेगी :-
- (क) किसी परियोजना या परियोजनाओं के लिए पहचान किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटित करना;
- (ख) विद्युत शक्ति को सम्मिलित करते हुए जल के स्रोतों तथा अन्य उपयोगिताओं की पहचान, उनका आवंटन और उन्हें सुविधापूर्ण बनाना;
- (ग) स्थानीय शासन से परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों में समस्त अनुमोदन लेना;
- (घ) छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड से संबंधित मामलों में अनुमोदन, यदि कोई हो, लेना; व
- स्पष्टीकरण - इस खण्ड में प्रयोजन के लिए संभागीय समिति उसके द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड का अधिकारी समझा जाएगा.
- (ङ) श्रम कल्याण से संबद्ध मामलों के संबंध में अनुमोदन, यदि कोई हो, लेना.
- (2) संभागीय समिति का प्रत्येक माह में कम से कम एक सम्मिलन होगा।
- परन्तु किसी निवेशक द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर संभागीय समिति ऐसे अनुरोध के दो सप्ताह के भीतर आयोजित किया जा सकेगा,
- परन्तु यह और भी कि ऐसे अनुरोध पर उक्त कालावधि के भीतर यदि कोई सम्मिलन आयोजित नहीं किया जाता है तो निवेशक को उसके लिए कारणों से लिखित में सूचित किया जाएगा,
- परन्तु यह भी कि राज्य सरकार किसी भी समय लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगी कि संभागीय समिति का सम्मिलन आयोजित किया जाए और तब जैसा कि उसे निर्दिष्ट किया जाए शीघ्रप्रतिशीघ्र सम्मिलन करने के लिए अग्रसर होगी और किसी भी दशा में ऐसे मामले का निपटारा सात कार्य दिवस से अनधिक समय में किया जाएगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए.
- (3) संभागीय समिति के सदस्य अनुसूची 2 में चिनिर्दिष्ट सेवाओं को विहित कालावधि में उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त अथवा पृथक् रूप से उत्तरदायी होंगे, परन्तु यदि किसी कारणवश निर्धारित कालावधि का पालन नहीं किया जा सकता हो, तो निर्धारित कालावधि समाप्ति के पूर्व निवेशक एवं राज्य बोर्ड को लिखित में सूचना देनी होगी।

- | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 9. | (1) | राज्य सरकार औद्योगिक अथवा अन्य परियोजनाओं के प्रोत्साहन एवं क्रियान्वयन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन करेगी. | राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड. |
| 10. | (1) | राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :- | राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन. |
| | (क) | चेयर पर्सन जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा. | |
| | (ख) | एक उप चेयर पर्सन जो उद्योगों से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री होगा. | |
| | (ग) | ऐसी संख्या में सात से अनधिक व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, श्रम तथा शैक्षणिक क्षेत्रों से नाम-निर्दिष्ट करे. | |
| | (घ) | वित्त से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (ङ) | ऊर्जा से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (च) | श्रम से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (छ) | वन से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (ज) | जल संसाधन से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (झ) | कृषि से सम्बंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (ञ) | लोक निर्माण से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (ट) | खनिज से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (ठ) | स्थानीय शासन से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (ड) | गृह निर्माण और पर्यावरण से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री. | |
| | (ढ) | उद्योग से संबंधित मामलों का राज्य मंत्री. | |
| | (ण) | शासन का मुख्य सचिव. | |
| | (त) | उद्योग से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव जो किसी भी नाम से पदाभिहित किया जाए, समिति का पदेन संयोजक होगा. | |
| | (2) | राज्य बोर्ड को स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी. | |
| 11. | (1) | राज्य बोर्ड, राज्य की विधान सभा द्वारा अधिनियमित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निवेश को प्रोत्साहित करने और सुविधापूर्ण बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या उसके अधीन किसी प्राधिकारी या एजेंसी की निम्नलिखित के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा :- | राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कृत्य एवं अध्यारोहण की शक्तियाँ. |
| | (क) | समस्त प्रस्ताव जो कि उसे जिला तथा संभागीय समितियों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं; | |

- (ख) समस्त प्रस्ताव जो कि निवेशक के द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके समक्ष लाए जाएं;
- (ग) संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति के किसी विनिश्चय के विरुद्ध निवेशकों के अभ्यावेदनों पर सुनवाई एवं विनिश्चय करना;
- (घ) बोर्ड इस उप-धारा के पूर्वगामी खण्डों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी परियोजनाओं में निवेश के संबंध में प्रस्तावों पर स्वप्रेरणा से विचार करने से निवारित करेगा;
- (ङ) निवेश और परियोजना के प्रवर्तन से संबंधित किन्हीं या समस्त विषयों के बारे में राज्य सरकार की प्रक्रियाओं का सलीकरण;
- (च) श्रमिकों के कल्याण और राज्य में विनिवेश की प्रतिस्पर्धात्मकता से संगत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण;
- (छ) राज्य की अर्थव्यवस्था के समस्त सेक्टर में निवेश के प्रोत्साहन से संबंधित समस्त मामलों के बारे में सरकारी नीतियों के अनुसार कार्यवाही।

(2) राज्य बोर्ड प्रत्येक माह में कम से कम एक सम्मिलन करेगा,

परन्तु किसी निवेशक द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर राज्य बोर्ड का सम्मिलन ऐसे अनुरोध के दो सप्ताह के भीतर किया जा सकेगा,

परन्तु यह और कि यदि ऐसे अनुरोध पर और उक्त कालावधि के भीतर यदि कोई सम्मिलन नहीं किया जाता है तो उसके कारणों को लिखित में निवेशक को सूचित किया जायेगा।

अध्याय-तीन

निवेशकों के लिए सेवाएं

निवेशक सम्पर्क केन्द्र.

12.

- (1) राज्य में निवेश के लिए अनुसूची-1 में वर्णित विभिन्न प्रवर्गों के समस्त प्रस्ताव अथवा उसमें या उसमें अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परियोजना के संबंध में हित की किसी अभिव्यक्ति, यथास्थिति जिला समिति, संभागीय समिति या राज्य बोर्ड के संयोजकों द्वारा प्राप्त की जाएगी और प्रत्येक ऐसा संयोजक यथास्थिति, जिला समिति या संभागीय समिति या राज्य बोर्ड के स्तर पर निवेशक के सम्पर्क केन्द्र पदाभिहित करेगा।
- (2) निवेशक सम्पर्क केन्द्र, प्रत्येक स्तर पर परियोजना के बारे में समस्त दस्तावेजीकरण पूर्ण करने के लिए निवेशक की सहायता करने के प्रस्ताव के बारे में समस्त जानकारी दिलवाएगा जैसी कि आवश्यक हो तो और उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र और किसी मामले में प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से जो पन्द्रह कार्य दिवस के पश्चात् की न हो, यथास्थिति, जिला समिति या क्षेत्रीय समिति या राज्य बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाने के लिए कार्यवाही करेगा।
- (3) निवेशक का सम्पर्क केन्द्र यथास्थिति, जिला समिति या संभागीय समिति या राज्य बोर्ड से कार्यवाही करवाएगा और जहां आवश्यक हो, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट समयवधि के भीतर प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा।

- (4) निवेशक का सम्पर्क केन्द्र, यथास्थिति, जिला समिति या संभागीय समिति स्तर पर, समस्त ऐसे अनुमोदन जो कि समिति द्वारा प्रदान किए गए हों, अन्य प्रस्तावों पर, यदि कोई हो, कार्यवाही न करने या अनुमोदन न करने के कारणों को उसमें अभिकथित करते हुए राज्य बोर्ड को संसूचित करेगा और राज्य बोर्ड के संयोजक के रूप अपनी हैसियत में निवेशक सम्पर्क केन्द्र का उत्तरदायित्व लेगा कि वह राज्य बोर्ड के समक्ष समस्त ऐसे प्रस्ताव जो धारा-11 की उपधारा (1) के निबंधनों में उसके अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखने हेतु अपेक्षित कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करें.
- (5) निवेशक सम्पर्क केन्द्र, यथास्थिति जिला समिति या संभागीय समिति या राज्य बोर्ड के स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशक को, राज्य में परियोजना की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए अपेक्षित किसी गतिविधि के बारे में सरकार की किसी अन्य एजेंसी या प्राधिकारी से सम्पर्क करना तब तक अपेक्षित न हो जब तक कि तत्समय प्रवृत्त संसद की किसी विधि के अधीन ऐसी अपेक्षा न की जाए, और निवेशक को ऐसे नियमित समय के अंतर्घालों पर जैसा कि राज्य बोर्ड विनिश्चित करे, प्रस्ताव की प्रास्थिति की सूचना देगा.
- (6) निवेशक सम्पर्क केन्द्र, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का समुचित अनुमोदन प्राप्त करेगा और केन्द्र सरकार को ऐसे समस्त प्रस्ताव जिनमें राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी की अनुशंसाएं अपेक्षित हो, केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी विनिश्चय के लिए अप्रेषित करेगा.
- (7) निवेश प्रस्तावों के बारे में समस्त संसूचना जिनकी निवेशक के साथ प्रविष्टि की गई हो सरकार की एजेंसियों या प्राधिकरणों के लिए और उनकी ओर से जिसमें कि स्थानीय शासन की ओर से जैसे यथास्थिति, जिला समिति या संभागीय समिति या राज्य बोर्ड भी सम्मिलित है, समुचित निवेशक सम्पर्क केन्द्र द्वारा ही किए जाएंगे अन्य किसी के द्वारा नहीं.
13. (1) समुचित निवेशक सम्पर्क केन्द्र ऐसे व्यक्ति तथा व्यक्तियों को जो शासन या उसके किसी एजेंसी या प्राधिकरण के अधिकारी हो, को निवेशक के किसी या ऐसी समस्त गतिविधियों में सहायता करने के लिए निवेशक को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा जो कि निवेश के प्रयोजन के लिए अनुषांगिक हो,
- निवेशकों के लिए सुविधा सेवाएं.
- परन्तु निवेशक सुविधा सेवा से भिन्न सेवा, जैसी की अपेक्षित की जाय, निवेशक द्वारा ऐसी कीस या प्रभारों को संदत्त करने पर या ऐसी शर्तों, जैसी कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या उसके अधीन नियमों के अधीन अधिकथित की जाए या समुचित प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए, प्रदान की जाएगी.
- (2) समुचित निवेशक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से यथास्थिति, जिला समिति या संभागीय समिति या राज्य बोर्ड परियोजना के क्रियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर तथा उसके पूर्ण होने के पश्चात् भी निवेशक परियोजना प्राधिकारी सफलतापूर्वक परियोजना गतिविधियों के चलाने के लिए आवश्यक परिवेश बनाये रखने में सहायता करना जारी रखेगी.
14. (1) परियोजना के यथासमय क्रियान्वयन में आने वाली स्थानीय समस्याओं के निदान हेतु निवेशक द्वारा लिखित में अनुरोध किये जाने पर स्थानीय समन्वय समिति का गठन किया जावेगा.
- स्थानीय समन्वय समिति.
- (2) प्रत्येक स्थानीय समन्वय समिति में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें निवेशक स्थानीय शासन एवं राज्य शासन अथवा जिले का कलेक्टर नाम-निर्देशित करें.

- (3) स्थानीय समन्वय समिति ऐसे समय एवं स्थान पर सम्मिलन करेगी जैसा कि समिति विनिश्चय करे.
- (4) समन्वय समिति यथा संभव शीघ्र यथास्थिति राज्य बोर्ड, संभागीय समिति या जिला समिति के ध्यान में ऐसे समस्त मामले लाएगी जिन पर संबंधित समिति अथवा बोर्ड का ध्यान अपेक्षित है एवं जो तदुपरांत ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए तत्काल अग्रसर होगी.
- (5) जिले के कलेक्टर का नाम-निर्देशित स्थानीय समन्वय समिति के द्वारा संव्यवहारित कारोबार से संबंधित अभिलेखों का संधारण करेगा तथा आवश्यक अनुसरणात्मक कार्यवाही करेगा.

गोपनीयता.

15.

यथास्थिति, सरकार या स्थानीय शासन की कोई एजेंसी या प्राधिकरण, जिसमें उसके कार्यकारी भी सम्मिलित है, किसी निवेशक या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है, ऐसे निवेशक की सहमति के बिना निवेशक की बौद्धिक संपत्ति बनने वाली किसी जानकारी अथवा परियोजना के संबंध में अन्य कोई जानकारी को प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु राज्य में किए जा रहे निवेश की शर्तों तथा निबन्धनों के बारे में समस्त जानकारी तथा सरकार या उसकी किसी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा या किसी स्थानीय शासन द्वारा निवेशक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, यदि कोई हो, जनता की जानकारी के लिए राज्य बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाएगी.

अतःकालीन उपबन्ध.

16.

इस अधिनियम के उपबंध उन सभी विनिधान प्रस्तावों के लिए लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि को राज्य सरकार या उसके किसी एजेंसियों, प्राधिकारियों या उपक्रमों के समक्ष विचाराधीन रहे हों.

अध्याय - चार

निवेशक की बाध्यताएं

निवेशक की प्रतिबद्धता.

17.

निवेशक छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश करने की साध्यता के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् ही इस अधिनियम के अध्याय - 3 के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा.

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिबद्धता.

18.

निवेशक, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के, जिनकी भूमि परियोजना के लिए अर्जित की गई है, प्रति अपनी बाध्यताओं का निर्वहन ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रशिक्षण द्वारा दक्ष करके करेगा जिससे इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्ति का या तो निवेशक के अधीन या अन्यथा नियोजन सुनिश्चित हो जाए.

अध्याय - पांच

अपवाद

नामंजूर करने की आपवादिक आधार.

19.

यथास्थिति राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति या जिला निवेश प्रोत्साहन समिति निवेशक से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को उन कारणों को छोड़कर जो प्रस्ताव के नामंजूर करने के सात कार्य दिवस के अंदर निवेशकों को संसूचित कर दिया गया हो, नामंजूर नहीं करेगा,

परन्तु यह और कि निवेशक प्रारंभिक प्रस्ताव की अस्वीकृति के आधारों को निवारित करते हुए एक पुनरीक्षित प्रस्ताव पन्द्रह कार्य दिवस की अतिरिक्त कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसा पुनरीक्षित प्रस्ताव इस अधिनियम की अनुसूची-2 के उद्देश्य के संदर्भ में नया प्रस्ताव समझा जावेगा.

- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

नियम बनाने की
शक्ति.

अनुसूची - 1

(देखें - धारा 12)

अध्याय - 2 में निर्दिष्ट निवेश प्रोत्साहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक और अन्य निवेश के लिए आवेदनों के बाबत प्रस्तावों को निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार प्राप्त करेगा, कार्यवाही करेगा और अनुमोदन जारी करेगा :-

निवेश प्रोत्साहन अधिकारी

पूँजीगत निवेश की सीमा

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड | (एक) सौ करोड़ रु. से ऊपर के समस्त परियोजना प्रस्ताव. |
| | (दो) सौ करोड़ रु. से नीचे के समस्त परियोजना प्रस्ताव, जहाँ परियोजना क्षेत्र एक से अधिक संभाग में आता है. |
| 2. संभागीय निवेश प्रोत्साहन समिति | (एक) सौ करोड़ रु. से कम और पाँच करोड़ रु. से ऊपर के समस्त परियोजना प्रस्ताव जहाँ कि परियोजना उसी संभाग के भीतर आता हो. |
| | (दो) पाँच करोड़ रु. से नीचे के समस्त परियोजना प्रस्ताव जहाँ परियोजना संभाग, एक से अधिक जिलों में आता हो. |
| 3. जिला निवेश प्रोत्साहन समिति | (एक) 5 करोड़ रु. या उससे कम, परन्तु सम्पूर्ण परियोजना संभाग उसी जिले के भीतर आता हो. |

स्पष्टीकरण :- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए पद "पूँजीगत निवेश" का वही अर्थ होगा जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धान्तों के अधीन दिया गया है।

अनुसूची - 2

(देखें - धारा 5, 8 एवं 12)

निवेशक प्रत्येक गतिविधि के लिए उपदर्शित समयावधि के भीतर अध्याय - 2 के अधीन निवेश प्रोत्साहन प्राधिकारियों से सेवाओं का हकदार होगा.

1. यथास्थिति बोर्ड अथवा समिति के संयोजक के साथ आशय की अभिव्यक्ति की तारीख से 7 दिवस के भीतर प्रारंभिक सम्मिलन.
2. निवेशक के प्रस्ताव का प्रत्युत्तर आशय की अभिव्यक्ति की तारीख से 7 कार्य दिवस के अंदर अथवा प्रारंभिक सम्मिलन की तारीख से 3 कार्य दिवस के अन्दर, जो भी बाद का हो, निवेशक सम्पर्क केन्द्र द्वारा पहुँचना।
3. निवेशक और शासन की समुचित एजेन्सी या प्राधिकरण या उपक्रम के बीच समझौता का ज्ञापन निवेशक की सुविधा हेतु अनुबंध द्वारा अनुसरित प्रस्ताव के प्रत्युत्तर की संसूचना की तारीख से 15 कार्य दिवस, के भीतर हस्ताक्षर किये जायें।
3. भूमि अंतरण (सरकारी राजस्व भूमि की दशा में) निवेशक सम्पर्क केन्द्र को भूमि के चिन्हांकन और आवेदन तथा उसके मूल्य के संचय की तारीख से 45 कार्य दिवस और भू-अर्जन अधिनियम 1894 (सन् 1894 का क्रमांक 1) की धारा 4 के अधीन भू-अर्जन के लिए अधिसूचना 15 कार्य दिवस के भीतर निजी बातचीत के द्वारा भूमि के अंतरण को सुविधापूर्ण बनाया जाएगा और निवेशक तथा निजी भूमि स्वामी के बीच एक बार तय हो जाने पर नामांतरण और रजिस्ट्रीकरण की औपचारिकताएं 30 कार्य दिवस के भीतर पूर्ण की जाएंगी. समस्त भूअंतरण पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि के बारे में संवैधानिक और वैधानिक उपबंधों से सुसंगत होने की स्थिति में.
5. अन्य स्थानीय शासन या राज्य सरकार या उसकी एजेंसी या प्राधिकरणों की वैधानिक अपेक्षाओं के बारे में अनुमति अंतरण की तारीख से 30 कार्य दिवस की कालावधि या परियोजना के लिए स्थान की पहचान की तारीख से 75 कार्य दिवस के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अभिप्रास की जाएगी.
6. अधोसंरचना जैसे ऊर्जा की अपेक्षाओं के लिये व्यवस्था भूमि के अंतरण की तारीख से 45 कार्य दिवस के या परियोजना के लिये स्थान की पहचान की तारीख से 75 कार्य दिवस के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किए जाएंगे.
7. समस्त अनुशंसाएं जैसे कि खनन या पर्यावरण अनुमति जब कभी केन्द्र सरकार को अग्रेषित की जाना हो तो इस प्रकार समस्त संबंधित दस्तावेजों को पूर्ण करते हुए भूमि के अंतरण की तारीख से 45 कार्य दिवस या स्थान की पहचान की तारीख से 75 कार्य दिवस के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अग्रेषित की जायेगी.
8. स्थान विनिश्चित करने के लिए यदि निवेशक प्रारंभिक रूप से स्थल भ्रमण करना अपेक्षित करे, तो बोर्ड अथवा समितियों के सदस्यों के साथ प्रारंभिक सम्मिलनों के 2 कार्य दिवस के भीतर स्थल भ्रमण की निःशुल्क व्यवस्था की जा सकेगी.

क्रमांक 2843/21-अ/प्रारूपण/01—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसारण में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्र. 7 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2002)

CHHATTISGARH AUDYOGIK NIVESH PRO TSAHAN ADHINIYAM, 2002**INDEX****CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short Title, Extent and Commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER-II
INVESTMENT PROMOTION AUTHORITIES**

3. District Investment Promotion Committee.
4. Constitution of the District Investment Promotion Committee.
5. Functions and over-riding powers of the District Investment Promotion Committee.
6. Divisional investment promotion committee and meetings thereof.
7. Constitution of the Divisional Investment Promotion Committee.
8. Functions and over-riding powers of the Divisional Investment Promotion Committee.
9. State Investment Promotion Board.
10. Constitution of the State Investment Promotion Board.
11. Functions and over-riding powers of the State Investment Promotion Board.

**CHAPTER-III
SERVICES FOR THE/INVESTORS**

12. Points of investor contact.
13. Facilitation services for the Investors.
14. Local Co-ordination Committee.
15. Confidentiality.
16. Transitional Provisions.

**CHAPTER -IV
OBLIGATION OF THE INVESTORS**

17. Commitment for Investment.
18. Commitment for project affected persons.

**CHAPTER - V
EXCEPTIONS**

19. Exceptional grounds for rejection.
20. Power to make rules.

Schedule-I & II

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2002)

CHHATTISGARH AUDYOGIK NIVESH PROTSAHAN ADHINIYAM, 2002

An act promote industrial investments in the State of Chhattisgarh, by vesting certain rights specified herein, in a person or persons including bodies, corporate, intending to make investments in various economic sectors for furthering industrial and economic growth; and to empower an agency or agencies designated by the State for facilitating such investments by making processes and procedures transparent and mutually beneficial, in the best interests of the investors and the State of Chhattisgarh and further, to cast certain obligations and responsibilities on such agencies to perform functions entrusted to them within specified period.

Be it enacted in the 53rd year of the Republic of India, as follows :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (No. 7 of 2002). | Short Title, extent and Commencement. |
| | (2) | It extends to the whole of the State of Chhattisgarh; | |
| | (3) | It shall come into force from a date as may be notified in the State Government Gazette. | Definitions. |
| 2. | In this Ordinance, unless the context otherwise requires :- | | |
| | (i) | "Board" means the State Investment Promotion Board, under Section 9; | |
| | (ii) | "District Committee" means the District Investment Promotion Committee under Section 3; | |
| | (iii) | "Divisional Committee" means the Divisional Investment Promotion Committee under Section 6; | |
| | (iv) | "Industrial Facilitation Services" means the assistance provided by the State Government from the time the investor submits a valid project proposal to the State Investment Promotion Board till the time the project goes into commercial production; | |
| | (v) | "Government" means the State Government of Chhattisgarh. | |
| | (vi) | "Government Agency" means any department of the Government or any body corporate, by whatever name called, owned or controlled by the Government; | |
| | (vii) | "Investment" means any or all of the preliminary and pre-operative expenses, capital expenditure, lease on land and equipment, interest during construction, | |

and administrative expenses etc., relating to the project;

- (viii) "Investor" means any person or persons, or his authorized nominees, including Companies incorporated under the Indian Companies Act, 1956, Public Trusts registered under the Public Trusts Act, Private Trusts registered under the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882), registered Societies; and shall include any other bodies corporate including those from outside India qualified to invest in India under relevant laws for the time being in force or under the relevant policies of the Government of India or the State Government as may be applicable at the time of such investment;
- (ix) "Local Co-ordination Committee" means a committee constituted under Section 14;
- (x) "Local Government" means and includes, Municipal bodies, by whatever name called, constituted under Article 243 Q of the Constitution of India, and Panchayats constituted under Article 243 B therein;
- (xi) "Project" means a project to be undertaken by the investor, in which he proposes to make investment in the State;
- (xii) "Project Affected Persons" means and includes all persons affected due to displacement or acquisition of land owned by them by the establishment of a project;
- (xiii) "Secretary" means a Secretary of the State Government, by whatever name called.

CHAPTER-II

INVESTMENT PROMOTION AUTHORITIES

District Investment Promotion Committee.

3.

- (1) The State Government shall constitute for each District, a Committee to be designated as the District Investment Promotion Committee for promoting and facilitating the implementation of industrial or other projects.

Constitution of the District Investment Promotion Committee.

4.

A District Investment Promotion Committee shall consist of the following members, namely:-

- (a) A Chairperson, who shall be the Collector of the Revenue District.
- (b) Such number of persons from the District, not exceeding five, as the State Government may nominate from the fields of industry, trade and commerce, labour and education.
- (c) General Manager of the District Trade and Industries Centre, by whatever name designated, who shall be ex-officio the Convener of the Committee.

- (d) Representative of the Chhattisgarh State Electricity Board, not below the rank of an Executive Engineer, by whatever name designated.
- (e) Nominee of the Department of Labour of the State Government not below the rank of an Assistant Commissioner.
- (f) Nominee of the Department of Forests of the State Government not below the rank of a Divisional Forest Officer.
- (g) Nominee of the Department of Water Resources of the State Government, not below the rank of an Executive Engineer.
- (h) Nominee of the Department of Public Works of the State Government, not below the rank of an Executive Engineer.
- (i) Nominee of the Department of Mineral Resources, of the State Government, being not below the rank of a District Mining Officer.
- (j) Nominee of the Department of Agriculture of the State Government, not below the rank of a Deputy Director.
- (k) Chairperson of the relevant Local government in whose jurisdiction the Project is proposed to be located, or his nominee not below the rank of the Commissioner or Chief Municipal Officer in the case of an urban body, or not below the rank of a Chief Executive Officer in the case of a Zila Panchayat.
- (l) Nominee of the Department of Housing and Environment of the State Government, not below the rank of an Assistant Director of the Town & Country Planning Organization.

5. (1) Notwithstanding anything contained in any law enacted by the Legislative Assembly of the State and for the time being in force, each District Committee shall, for the purpose of promoting and facilitating investments in projects, exercise powers of any Local Government or of any authority or agency of the State Government within the District, in respect of the following;

- (a) allotment of land in identified industrial area for the project or projects;
- (b) Identification, allocation and facilitation of sources of water and other utilities including electric power;
- (c) all approvals in respect of matters relating to the implementation of the project from the local governments; and
- (d) approvals, if any, relating to matters concerning the welfare of labour.

Functions and over-riding powers of the District Investment Promotion Committee.

- (2) The District Committee shall hold at least one meeting every month;

Provided that the State Government may at any time require in writing that a meeting of the District Committee be held, and the Committee shall then proceed to hold meeting as expeditiously as it can, but not later than seven working days in any case, to dispose such matters as may be referred to it.

- (3) The members of the District Committee shall be jointly and severally responsible for providing the services specified in Schedule-II within the time period prescribed therein, provided that if the time period can not be adhered to for any reason, the investor and the Divisional Committee shall be communicated in writing before the expiry of the period.

Divisional investment promotion committee and meetings thereof.

6.

- (1) The State Government shall constitute for each Revenue Division, a Committee to be designated as the Divisional Investment Promotion Committee for promoting and facilitating the implementation of industrial and other projects;

Constitution of the Divisional Investment Promotion Committee.

7.

A Divisional Investment Promotion Committee shall consist of the following members, namely

- (a) A Chairperson, who shall be the Commissioner of the Revenue Division.
- (b) Such number of persons, not exceeding five, as the State Government may nominate from the fields of industry, trade and commerce, labour and education.
- (c) Collector of the District in which the Project is proposed.
- (d) Chairperson of the Chhattisgarh State Electricity Board or his nominee not below the rank of a Chief Engineer.
- (e) Secretary in charge of matter relating to Labour, or his nominee not below the rank of a Deputy Commissioner.
- (f) Secretary in charge of matter relating to Forests, or his nominee not below the rank of a Conservator of Forests.
- (g) Secretary in charge of matter relating to Water Resources, or his nominee not below the rank of a Chief Engineer.
- (h) Secretary in charge of matter relating to Public Works, or his nominee not below the rank of a Superintending Engineer.
- (i) Secretary in charge of matter relating to Mining, or his nominee not below the rank of a Joint Director.

- (j) Secretary in charge of matter relating to Agriculture, or his nominee not below the rank of a Joint Director.
- (k) Chairperson of the relevant Local Government in whose jurisdiction the Project is proposed to be located, or his nominee not below the rank of the Commissioner or Chief Municipal Officer in the case of an urban body, or not below the rank of Chief Executive Officer in the case of a Zila Panchayat.
- (l) Secretary in charge of matter relating to Housing and Environment, or his nominee not below the rank of a Deputy Director of the Town and Country Planning Organization.
- (m) A nominee of the Secretary in charge of the matter relating to Industries, not below the rank of a Joint Director; who shall be the ex-officio Convener of the Committee.

8. (1) Notwithstanding anything contained in any law enacted by the Legislative Assembly of the State and for the time being in force, each Divisional Committee shall, for the purpose of promoting and facilitating investments, exercise powers of any local government or of any authority or agency of the State Government within the Division, in respect of the following:-

Functions and over-riding powers of the Divisional Investment Promotion Committee.

- (a) identification and allotment of land for the project or projects;
- (b) identification, allocation and facilitation of sources of water and other utilities including electric power;
- (c) all approvals in respect of matters relating to the implementation of the project from the local governments;
- (d) approvals, if any, relating to the Chhattisgarh Environment Protection Board;

Explanation—for the purposes of this clause the Divisional Committee shall be deemed to be an Officer of the Board for the exercise of powers delegated by it, and

- (e) approvals, if any, relating to matters concerning the welfare of labour.
- (2) The Divisional Committee shall hold at least one meeting every month:

Provided that upon request in writing by an investor, a meeting of the Divisional Committee may be held within two weeks of such requisition;

Provided further that if no meeting is held upon such request and within the said period, the investor shall be informed in writing the reasons therefor;

Provided also that the State Government may at any time require in writing that a meeting of the Divisional Committee be held, and the Committee shall then proceed to hold a meeting as expeditiously as it can, but not later than seven working days in any case, to dispose of such matters as may be referred to it.

- (3) The members of the Divisional Committee shall be jointly and severally responsible for providing the services specified in Schedule II within the time period prescribed therein; provided that if the time period can not be adhered to for any reason the investor and the State Board shall be communicated in writing before the expiry of the time period.

9. The State Government shall constitute a State Investment Promotion Board for promoting and facilitating the implementation of industrial and other projects.

State Investment Promotion Board.

10. (1) The State Investment Promotion Board shall consist of the following members, namely :-

Constitution of the State Investment Promotion Board.

- (a) A Chairperson, who shall be the Chief Minister of Chhattisgarh.
- (b) A Vice Chairperson, who shall be the Minister-in-charge of matters relating to Industries.
- (c) Such member of persons, not exceeding seven, as the State Government may nominate from the fields of industry, trade and commerce, labour and academics.
- (d) Minister-in-charge of matters relating to Finance.
- (e) Minister-in-charge of matters relating to Energy.
- (f) Minister-in-charge of matters relating to Labour.
- (g) Minister-in-charge of matters relating to Forests.
- (h) Minister-in-charge of matters relating to Water Resources.
- (i) Minister-in-charge of matters relating to Agriculture.
- (j) Minister-in-charge of matters relating to Public Works.
- (k) Minister-in-charge of matters relating to Minerals.
- (l) Minister-in-charge of matters relating to Local Government
- (m) Minister-in-charge of matters relating to Housing and Environment.
- (n) State Minister-in-charge of matters relating to industries.

Functions and over-riding powers of the State Investment Promotion Board.

- (o) Chief Secretary of the Government; and
 - (p) Secretary in charge of matters relating to Industries by whatever name designated, shall *ex-officio* be the Convener of the Committee.
 - (2) The State Board shall have the power to regulate its own procedure.
11. (1) Notwithstanding anything contained in any law enacted by the Legislative Assembly of the State and for the time being in force, the State Board shall, for the purpose of promoting and facilitating investments, exercise powers of the State Government or any authority or agency under it, in respect of the following:
 - (a) All proposals that may be referred to it by the District and Divisional Committees;
 - (b) All proposals that are brought before it by the investor.
 - (c) To hear and decide representations from Investors against any decision of the Divisional Investment Promotion Committee.
 - (d) Nothing contained in the foregoing clauses of this sub-section shall prevent the Board from considering suo motu proposals in regard to investments in projects;
 - (e) Simplification of procedures of the State Government in respect of any or all matters relating to the investment and the operations of the project.
 - (f) Fixation of Minimum Wages consistent with the welfare of labour and competitiveness of investment in the State;
 - (g) To take action according to Government policies in respect of all matters relating to promotion of investment in all sectors of the economy of the State.
- (2) The Board shall hold at least one meeting every months;

Provided that upon a request in writing by an investor, a meeting of the State Board may be held within two weeks of such requisition;

Provided further that if no meeting is held upon such request and within the said period, the investor shall be informed in writing the reasons there for;

CHAPTER-III SERVICES FOR THE INVESTORS

- | | | | |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 12. | (1) | All proposals for investment in the State, of various categories as mentioned in Schedule-I, or any expression of interest in respect of any project proposed to be located therein, shall be received by the Conveners of the District Committee, the Divisional Committee or the State Board, as the case may be; and, each such Convener shall be designated the Point of Investor Contact at the level of the District Committee or Divisional Committee or the State Board, as the case may be. | Points of investor contact. |
| | (2) | The Point of Investor Contact at each level shall cause to furnish all information in respect of the proposal as may be necessary for assisting the investor to complete all documentation in respect of the project, and shall thereafter, as soon as may be and in any case not later than fifteen working days from the date of receipt of the proposal, proceed to bring the proposal before the District Committee, or Divisional Committee or the State Board, as the case may be. | |
| | (3) | The Point of Investor Contact shall cause the District Committee or Divisional Committee or the State Board, as the case may be, to process, and give approvals where necessary, to the proposal within the time period specified in Schedule II. | |
| | (4) | The Point of Investor Contact at the level of the District Committee or the Divisional Committee, as the case may be, shall convey to the State Board, all such approvals that may have been granted by the Committee, stating therein reasons for not processing or approving other proposals, if any; and it shall be the responsibility of the Point of Investor Contact in his capacity as the Convener of the State Board to place before it all such proposals, as well as any proposals required to be presented before the Board for its approval in terms of sub-section (1) of Section 11. | |
| | (5) | The Point of Investor Contact at the level of District Committee or Divisional Committee or the State Board, as the case may be, shall ensure that the investor shall not be required to contact any other agency or authority of the Government in respect of any activity required for the successful establishment of the project in the State, unless so required under any law of the Parliament for the time being in force; and, to inform the status of the proposal to the investor at such regular intervals of time as the State Board may decide. | |
| | (6) | The Point of Investor Contact shall obtain and forward the appropriate approvals of the State Investment Promotion Board to the Central Government, all such proposals as may require the recommendations of the State Government or any of its agencies for any decision to be made by the Central Government. | |

- (7) All communications in respect of the investment proposals that may be entered in to with investors, for and on behalf of the agencies or authorities of the Government, including that on behalf of the Local Government as well as the District Committee or Divisional Committee or the State Board, as the case may be, shall only be made by the appropriate Point of Investor Contact and none other.
- Facilitation services for the Investor.** 13. (1) The appropriate Point of Investor Contact shall cause to provide to the investor, free of any charges, such person or persons, being officers of the Government or any of its agencies or authorities, to assist the investor in any or all such activities as may be incidental to the purpose of investment :
- Provided, that any service as may be required, other than the Investor Facilitation Services, shall be paid for by the investor, on such fee, charges or terms as may be laid down or prescribed by the appropriate authority under any law, or rules thereof, for the time being in force.
- (2) The District Committee or Divisional Committee or the State Board, as the case may be, acting through the appropriate Point of Investor Contact, shall at every stage in the implementation of the project, and after its completion, continue to assist the investor, or where appropriate, the project authorities, for the maintenance of a work environment conducive to successful project activities.
- Local Co-ordination Committee.** 14. (1) There shall be formed, upon a request to be made in writing by the investor, a Local Co-ordination Committee for a project for the purpose of resolving local issues that arise in the timely implementation of the project.
- (2) Each such Committee shall consist of such persons as may be nominated by the investor, the Local Government, and the State Government or the Collector of the District.
- (3) The Local Co-ordination Committee shall meet at such time and place as the Committee may decide.
- (4) The Local Co-ordination Committee shall, as expeditiously as it may, bring to the notice of the District Committee or Divisional Committee or the State Board, as the case may be, all matters requiring attention of the concerning Committee or the board; which shall thereupon proceed expeditiously to remove such difficulties.
- (5) The nominee of the Collector of the District shall maintain records of the business transacted by the Local Co-ordination Committee and take necessary follow up action.

15. No agency or authority of the Government or the Local Government, as the case may be, including functionaries therein, shall disclose to any other investor or to a person not duly authorized, any information forming the intellectual property of the investor or any other information regarding the project without the consent of such investor. **Confidentiality.**

Provided, that all information in respect of the terms and conditions of the investment being made in the State and the facilities, if any, provided to the investor by the Government or any of its agencies or authorities, or by any Local Government, shall be notified by the State Board for information of the public.

16. The provisions of this Act shall apply to all investment proposals that have been under consideration of the State Government or any of its agencies, authorities or undertakings on the date the Act comes into force. **Transitional Provisions.**

CHAPTER-IV OBLIGATION OF THE INVESTOR

17. The investor shall proceed to take action under Chapter III of this Act, only after satisfying himself of the feasibility of investing in the State. **Commitment for investment.**
18. The investor shall undertake to discharge his obligations for the Project Affected Persons whose land is acquired for the project by training at least one member of each family of such persons in skills that would ensure employment to the person so trained, either under the investor or otherwise. **Commitment for project affected persons.**

CHAPTER-V EXCEPTIONS

19. The District Committee or Divisional Committee or the State Board, as the case may be, shall not reject any proposal except for reasons to be communicated in writing to the investor within seven working days of such rejection. **Exceptional grounds for rejection.**

Provided further, that the investor may submit a revised proposal redressing the grounds of rejection of the initial proposal within a further period of fifteen working days; and any such revised proposal shall be deemed to be a new proposal for the purpose of Schedule-II of the Act.

20. The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act. **Power to make rules.**

SCHEDULE - I

(Sec Section - 12)

The Investment Promotion Authorities referred to in Chapter II shall receive, process and issue approvals in respect of applications for industrial and other investments in the State of Chhattisgarh, as per the following classification :-

Investment promotion Authority	Limit of Capital Investment
State Investment Promotion Board	(i) All project proposals above Rs. 100.00 crores. (ii) All project proposals below Rs. 100.00 crores, where the project area falls in more than one division;
Divisional Investment Promotion Committee.	(i) All project proposals below Rs. 100.00 crores, and above Rs. 5.00 crores where the project areas falls within the same division; (ii) All project proposals below Rs. 5.00 crores, where the project area falls in more than one district of the division.
District Investment Promotion Committee	Rs. 5.00 crores or below, provided the entire project area falls within the same district.

Explanation : For the purposes of this Schedule, the term "Capital Investment" shall have the same meaning as under the generally accepted accounting principles, prescribed by the Institute of Chartered Accountant of India.

SCHEDULE - I

(See Section - 5, 8 & 12)

The investor shall be entitled to services from the Investment Promotion Authorities under Chapter II, within the periods of time indicated against each activity:-

1. Preliminary Meeting with Convener of the Board or the Committee as the case may be within 7 working days from date of expression of intent.
2. Response to investor's proposal within 7 working days from the date of expression of intent or 3 working days from the date of the Preliminary Meeting which ever is later to be conveyed by the Point of Investor Contact.
3. Memorandum of Understanding to be signed within 15 working days from the date of communication of response to the proposal followed by firm agreement as convenient to the investor between the investor and the appropriate agency or authority or undertaking of the Government.
4. Land transfer in the case of government revenue lands, 45 working days from the date of identification and application to the Point of Investor Contact and payment of value thereof; and Section 4 notification for Land Acquisition to be made within 15 working days; land transfer through private negotiations would be facilitated and, once settled between the investor and the private land owners the mutation and registration formalities shall be completed within 30 working days all land transfers have to be consistent with Constitutional and statutory provisions in regard to land in the Vth Schedule areas.
5. Clearances in respect of other Local Government, or statutory requirements of the State Government or its agencies or authorities shall be obtained within a period of 30 working days from the date of land transfer, or 75 working days from the date of identification of the site; which ever is earlier.
6. Arrangement for requirements of infrastructure such as power shall be made within 45 working days from the date of transfer, or 75 working days from the date of identification of the site for the project; which ever is earlier.
7. All recommendations such as for mining or environmental clearances, where ever required to be forwarded to the Central Government, shall be so forwarded, complete in all respects of documentation, within 45 working days from the date of transfer of land, or 75 working days from the date of identification of the site; which ever is earlier.
8. Preliminary Site visit for deciding on the location may be arranged free of cost if so required by the investor within 2 working days for the preliminary meetings with the members of the Board or the Committees.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक - 2]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 जनवरी 2005 पौष 13, शक 1926

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2005

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02.01.2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(विमला सिंह कपूर)

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 16 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2004.

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2004 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

धारा 2 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम विनिर्दिष्ट है) की धारा 2 के खंड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

“(एक-क) “सलाहकार बोर्ड” से अभिप्रेत धारा 9 के अधीन गठित राज्य उद्योग सलाहकार बोर्ड से है;

(एक-ख) “क्लियरेंस” से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापित करने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत या जारी किए जाने वाला अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सहमति, नामांकन, पंजीयन, अनुमति, अनुमोदन, लायसेंस, आबंटन, आदि;

(एक-ग) “राक्षस प्राधिकारी” से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, ग्राम पंचायत, नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय, जो कोई क्लियरेंस स्वीकृत या जारी करने की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के लिए नामजद हो;”।

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (तीन) का लोप किया जाए ।

(3) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(चार-क) “औद्योगिक उपक्रम” से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है उत्पादन या प्रसंस्करण या दोनों या सेवा प्रदाय या राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य वाणिज्यिक या व्यवसायिक कार्यकलाप, में संलग्न उपक्रम;”।

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (दस) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्—

“(दस-क) “नोडल एजेंसी” से अभिप्रेत है धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय एजेंसी;”।

धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) का लोप किया जाए।

धारा 5 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में शब्दों “अनसूची-दो में विनिर्दिष्ट सेवाओं को विहित कालावधि में” के स्थान पर शब्द “ऐसी सेवाएं तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसा कि विहित किया जाए” तथा शब्दों “संभागीय समिति” के स्थान पर शब्द “राज्य बोर्ड” प्रति स्थापित किए जाएं।

धारा 6, 7 एवं 8 का विलोपन 5. मूल अधिनियम की धाराएं 6, 7 एवं 8 विलोपित किए जाएं।

धारा 9 का संशोधन 6. मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्—

“9. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा राज्य उद्योग सलाहकार बोर्ड: राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं के प्रोत्साहन एवं उनके क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा एक राज्य उद्योग सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।”

धारा 10 का संशोधन 7. मूल अधिनियम की धारा 10 में, —

(1) उपधारा (1) का खंड (ग) विलोपित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्—

“(डड) राजस्व से संबंधित मामलों का भार साधक मंत्री.”।

- (3) उप धारा (1) के खंड (त) में शब्द "समिति" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए ।
- (4) उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात्—

“(3) राज्य बोर्ड एक या अधिक समिति गठित कर सकेगा तथा ऐसी समिति को अपनी कोई भी शक्ति और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगा”

(4) राज्य उद्योग सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- (क) अध्यक्ष, जो राज्य का मुख्य मंत्री होगा ।
- (ख) एक उपाध्यक्ष, जो उद्योगों से संबंधित मामलों का भारसाधक मंत्री होगा ।
- (ग) राज्य सरकार के ऐसे अन्य विभागों जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के भारसाधक मंत्री तथा सचिव ।
- (घ) पांच से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार वाणिज्य, व्यवसाय एवं उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों में से नाम निर्देशित करे ।
- (ङ) पांच से अनाधिक ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति तथा विशेषज्ञ, जिन्हें राज्य सरकार वाणिज्य, व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्रों से नाम निर्देशित करे ।
- (च) पांच से अनाधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार श्रम तथा गानव संसाधन विकास के क्षेत्रों से नाम निर्देशित करे ।
- (छ) उद्योग से संबंधित मामलों का भारसाधक सचिव, जो किसी भी नाम से पदाभिहित किया जाए, सलाहकार बोर्ड का पदेन संयोजक होगा ।” ।

धारा 11 का
संशोधन.

8.

मूल अधिनियम की धारा 11 में—

- (1) उपधारा (1) के खंड (क) से (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात्—

“(क) किसी जिला समिति द्वारा उसे संदर्भित ऐसे मामले जिनमें ऐसी समिति के सदस्यों के बीच मतभेद हो;

(ख) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा उसे संदर्भित ऐसे मामले जिनमें धारा 12 की उप धारा (5) के खंड (ख) में विहित कालावधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेने में असफल रहा हो;

(ग) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निवेशक की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य विधायिका के किसी अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुमोदन के संबंध में निर्णय हेतु संदर्भित मामले,

(घ) निवेशक की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक राज्य सरकार या किसी अन्य शासकीय एजेंसी की अनुशंसा से संबंधित ऐसे मामले जो बोर्ड को

(एक) स्वयं सक्षम प्राधिकारी द्वारा; या

(दो) जहाँ सक्षम प्राधिकारी धारा 12 की उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन विहित कालावधि के भीतर निर्णय लेने में असमर्थ रहा हो, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा संदर्भित किये जाएं;

(ङ) निवेशकों से जिला समितियों के निर्णयों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन;

(च) जिला समिति अथवा धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय का स्वप्रेरणा से परीक्षण तथा पुनरावलोकन;

(छ) ऐसे अन्य मामलों जैसी कि विहित किए जाएं ।

परन्तु जब बोर्ड राज्य शासन के किसी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा निर्णित किये जाने वाले किसी मामले में निर्णय लेने के लिए अग्रसर हो, तो वह यथा स्थिति, संबंधित विभाग या एजेंसी से मत या टिप्पणी प्राप्त करेगा ।

परन्तु यह भी कि यदि बोर्ड को उसके द्वारा निर्धारित की गई कालावधि के भीतर मत या टिप्पणी प्राप्त न हो, तो बोर्ड मामले का निर्णय करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

परन्तु यह और भी कि बोर्ड ऐसे किसी मामले में, जिसमें कोई वित्तीय अनुदान या कर रियायत सन्निहित हो, निर्णय नहीं लेगा यदि यथास्थिति, अनुदान या रियायत राज्य

शासन की तत्संबंधी नीति में सम्यक रूप से प्रावधानित न हो।”

- (2) उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा प्रतिस्थापित की जाए अर्थात्,—

“(2) बोर्ड सामान्यतः प्रतिमास एक बार अथवा ऐसे अंतराल पर जो निवेश के प्रस्तावों के शीघ्र अनुमोदन हेतु आवश्यक हो, बैठक आयोजित करेगा।”।

धारा 12 का
संशोधन

9.

मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् —

- “(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना द्वारा, एक राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी तथा प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी नियुक्त करेगी।
- (2) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी राज्य बोर्ड के संयोजक के अधीन राज्य के उद्योग विभाग का एक प्रकोष्ठ होगा तथा जिला उद्योग केन्द्र जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी होगी।
- (3) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी तथा जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी निवेशक संपर्क के बिन्दु होंगे और राज्य में किसी निवेशक द्वारा औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (4) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी तथा जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी यथास्थिति, राज्य बोर्ड तथा जिला समिति को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराएंगी।
- (5) राज्य की विधायिका द्वारा अधिनियमित तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार,—
- (क) राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय नोडल एजेन्सियों को प्राप्त होने वाले आवेदनों के प्रोसेसिंग तथा निराकरण के लिए प्रक्रिया, और;
- (ख) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों के प्रोसेसिंग तथा निराकरण के लिए समय-सीमा विहित कर सकेंगी।

परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार ऐसी कोई बात विहित नहीं करेगी जो संसद के किसी अधिनियमिति से असंगत हो अथवा ऐसे अधिनियमिति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विहित कर दी गई हो अथवा की जानी हो।

- (6) राज्य में निवेश के संबंध में समस्त अभिरुचि प्रस्ताव तथा आवेदन पत्र अनुसूची-1 में निर्धारित क्षेत्राधिकार अनुसार संबंधित नोडल एजेन्सी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, और उसके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

- (7) नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन-पत्र विहित किये गये ढंग से प्रोसेस तथा निराकृत किए जाएंगे ।
- (8) राज्य की विधायिका द्वारा अधिनियमित तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निवेशक द्वारा चाही गई उन क्लियरेंस को विहित कर सकेगी, जिनके संबंध में निवेशक के आवेदन पत्र पर सक्षम प्राधिकारी की विहित कालावधि में अन्तिम आदेश पारित करने की विफलता का परिणाम स्वयमेव अनुमोदन होना मान्य किया जाएगा ।
- (9) नोडल एजेंसी आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके उपधारा (8) में संदर्भित आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख तथा उस तारीख की, जिसे आवेदन-पत्र उपधारा (8) के अधीन स्वतः अनुमोदित होना मान्य हुआ, की सूचना देगी ।
- (10) उप धारा (8) में संदर्भित स्वतः मान्य अनुमोदन के अनुसरण में आवेदक कार्य के निष्पादन या अन्य कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, किंतु ऐसी क्लियरेंस को लागू होने वाले अधिनियमों, नियमों अथवा उपविधियों के किसी सारभूत प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा ।” ।

धारा 13 का संशोधन	10.	मूल अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) में शब्दों “या संभागीय समिति” को विलोपित किया जाए ।
धारा 14 का संशोधन	11.	मूल अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (4) में शब्दों “या संभागीय समिति” को विलोपित किया जाए ।
धारा 19 का संशोधन	12.	मूल अधिनियम की धारा 19 में शब्दों “या संभागीय समिति” को विलोपित किया जाए ।
धारा 20 का संशोधन	13.	मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् —

“(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वोक्त शक्तियों के सामान्य स्वरूप को प्रभावित किये बिना, ऐसे नियमों में ऐसी समस्त या किसी भी बात का प्रावधान किया जा सकेगा जो कि विहित की जा सकें या की जानी हों ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यदि सत्र चालू हो तो तत्काल, और यदि सत्र चालू न हो तो ऐसे नियम अधिसूचित करने की तारीख के तत्काल पश्चात् के सत्र में, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा ।” ।

अनुसूची-एक
का संशोधन

14.

मूल अधिनियम की अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्.-

"अनुसूची-एक

अध्याय-दो में निर्दिष्ट निवेश प्रोत्साहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक और अन्य निवेश के लिए आवेदनों के बाबत प्रस्तावों को निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार प्राप्त करेगा, कार्यवाही करेगा और अनुमोदन जारी करेगा.-

निवेश प्रोत्साहन प्राधिकारी

पूंजी निवेश की सीमा

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

(एक) दस करोड़ रुपये के ऊपर के समस्त परियोजना प्रस्ताव

(दो) दस करोड़ रुपये के नीचे के समस्त परियोजना प्रस्ताव, जहां परियोजना क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता है

जिला निवेश प्रोत्साहन समिति

10 करोड़ रुपये या उससे कम, परन्तु संपूर्ण परियोजना क्षेत्र उसी जिले के भीतर आता हो."।

अनुसूची-दो
का संशोधन

15.

मूल अधिनियम की अनुसूची-दो विलोपित की जाए ।

अध्यादेश क्र. 6
2004 का
निरसन

16.

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) सन् अध्यादेश, 2004 (क्र. 6 सन् 2004) एतद द्वारा निरसित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3.1.2005

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण
में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क0 16 सन् 2004)
का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विमला सिंह कपूर)

उपसचिव

छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर

CHHATTISGARH ACT**(No. 16 of 2004)****CHHATTISGARH AUDYOGIK NIVESH PROTSAHAN****(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2004**

An act further to amend the Chhattisgarh Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty fifth year of the Republic of India as follows:-

- | | | |
|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short title and commencement | 1. | <p>(1) This Act may be called Audyogik Nivesh Protsahan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004.</p> <p>(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.</p> |
| Amendment of section 2 | 2. | <p>(1) After clause (i) of section- 2 of the Chhattisgarh Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam, 2002 (hereinafter referred to as Principal Act), the following clauses shall be inserted, namely :-</p> <p style="padding-left: 40px;">(i-a) "Advisory Board" means the State Industries Advisory Board constituted under section 9;</p> <p style="padding-left: 40px;">(i-b) "Clearance" means and includes grant or issue of no objection certificate, consent, enrolment, registration, permission, approval, licence, allotment, and the like by any competent authority in connection with setting up of an industrial undertaking in the State of Chhattisgarh.</p> <p style="padding-left: 40px;">(i-c) "Competent Authority" means and includes any Department or Agency of the State Government, Gram Panchayat, Municipality or other local body, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue any clearance;"</p> <p>(2) Clause (iii) of section 2 of the Principal Act, shall be omitted.</p> |

- (3) After clause (iv) of section 2 of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely :-

"(iv-a) "Industrial Undertaking" means and includes an undertaking engaged in manufacturing or processing or both or providing service or doing any other business or commercial activity specified by the State Government;

- (4) After clause (x) of section 2 of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely :-

"(x-a) "Nodal Agency" means the State level or the District level agency notified under sub section (1) of section 12;"

- | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amendment of section 4 | 3. | Clause (b) of section 4 of the Principal Act shall be omitted. |
| Amendment of section 5 | 4. | In sub-section (3) of section 5 of the Principal Act, for the words "the services specified in Schedule II within the time period specified therein" the words "such services and within such time period as may be prescribed" and for the words "Divisional Committee" the words "State Board " shall be substituted. |
| Omission of section 6,7 & 8 | 5. | Sections 6,7 and 8 of the Principal Act shall be omitted. |
| Amendment of section 9 | 6. | For section 9 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>"9. State Investment Promotion Board & State Industry Advisory Board:</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>State Government shall constitute a State Investment Promotion Board and a State Industry Advisory Board for promoting and facilitating implementation of industrial and other projects in the State."</p> </div> </div> |
| Amendment of section 10 | 7. | In section 10 of the Principal Act, -

<div style="margin-left: 20px;"> <p>(1) clause (c) of sub section (1) shall be omitted.</p> <p>(2) after clause (m) of sub-section (1) the following clause shall be inserted, namely :-

 <p>"(mm) Minister in charge of matters relating to Revenue."</p> </p></div> <p>(3) in clause (p) of sub-section (1), for the word "Committee" the word " Board" shall be substituted.</p> |

(4) After sub section (2) the following sub sections shall be added, namely :-

"(3) The State Board may constitute one or more Committee and may delegate any of its powers and functions to such Committee.

(4) The State Industry Advisory Board shall consist of the following members, namely:-

- (a) A Chairperson, who shall be the Chief Minister of the State.
- (b) A Vice-Chairperson, who shall be the Minister in charge of matters relating to Industries.
- (c) Ministers in charge and secretaries of such other Departments of the State Government, as the State Government may specify.
- (d) Such number of persons, not exceeding five, as the State Government may nominate from amongst the office bearers of the organisations representing commerce, trade and industry.
- (e) Such number of eminent persons and experts, not exceeding five, as the State Government may nominate from the fields of commerce, trade and industry.
- (f) Such number of persons, not exceeding five, as the State Government may nominate from the fields of labour and human resource development.
- (g) Secretary in charge of matters relating to Industries, by whatever name designated, shall ex-officio be the Convener of the Advisory Board."

Amendment of
section 11

8.

In section 11 of the Principal Act, -

(1) for clauses (a) to (g) of sub section (1), the following clauses shall be substituted, namely :-

- "(a) Cases referred to it by any District Committee in respect of which there is difference of opinion amongst members of such Committee.
- (b) Cases referred to it by the State level nodal agency in respect of which any competent authority has failed to take decision within the time limit prescribed under clause (b) of sub section (5) of section 12.

- (c) Cases referred to it by any competent authority for decision in connection with any approval required under any enactment of the State Legislature for implementation of investor's project.
- (d) Cases requiring recommendation of the State Government or any State Government Agency for obtaining approval of the Central Government under any enactment of Parliament for implementation of investor's project, referred to the Board by;-
 - (i) the competent authority itself, or
 - (ii) the State level nodal agency where a competent authority has failed to take decision within the time limit prescribed under clause (b) of sub section (5) of section 12.
- (e) Representations received from investors against decisions of District Committees.
- (f) Suo motu examination and review of any decision taken by a District Committee or the Committee constituted under sub section (3) of section 10.
- (g) Such other matters as may be prescribed.

Provided that the Board, while proceeding to decide any matter that ought to have been decided by any Department or Agency of the State Government, shall call for the views or comments, as the case may be, of the concerned Department or Agency.

Provided further that if no views or comments are received by the Board within the time limit fixed by it, it shall be competent for the Board to proceed and decide the matter.

Provided also that the Board shall not decide any matter which involves a financial grant or tax concession if such grant or concession, as the case may be, is not provided for in the appropriate policy of the State Government.

- (2) for sub-section (2), the following sub section shall be substituted, namely :-

"(2) The Board shall ordinarily meet once a month or at such intervals as may be necessary for expeditious approval of investment proposals."

Amendment of 9.
section 12

For section 12 of the Principal Act the following section shall be substituted, namely :-

- (1) The State Government may, by a notification to be published in the Official Gazette, appoint a State level nodal agency and a District level nodal agency for each District.
- (2) The State level nodal agency shall be a cell under the State's Industries Department headed by the Convener of the State Board and the District Industries Centre shall be the District level nodal agency.
- (3) The State level nodal agency and the District level nodal agencies shall be the Points of Investor Contact and shall be responsible for obtaining clearances required by an investor for establishing industrial undertaking in the State.
- (4) The State level nodal agency and District level nodal agencies shall provide secretarial support to the State Board and District Committees, respectively.
- (5) Notwithstanding anything contained in any law enacted by the State legislature for the time being in force, the State Government may prescribe,-
 - (a) the procedure for processing and disposal of applications received by the State level and District level nodal agencies; and
 - (b) time limits for processing and disposal of applications by competent authorities.

Provided that the State Government shall not prescribe anything under this sub section which is inconsistent with any enactment of Parliament or has been or ought to be prescribed by the Central Government under such enactment.

- (6) All proposals of expression of interest and applications in connection with investment in the State shall be submitted to, and received by, an authorized officer of the concerned nodal agency as per jurisdiction laid down in Schedule-I.
- (7) The applications received by the nodal agency shall be processed and disposed off in the manner prescribed.

(8) Notwithstanding anything contained in any law enacted by the State legislature for the time being in force, the State Government may prescribe the clearances required by an investor in respect of which failure of the competent authority to pass final order on investor's application within the prescribed time limit shall result in deemed approval.

(9) The nodal agency shall inform the applicant the date of receipt of his application referred to in sub section (8) by the competent authority and the date on which the application was deemed to have been approved under sub section (8).

(10) The applicant may proceed to execute the work or take other action following the deemed approval referred to in sub section (8), but not so as to contravene any of the substantive provisions of Acts or rules or bye laws applicable to such clearances.

Amendment of section 13. 10. In sub-section (2) of section 13 of the Principal Act, the words "or Divisional Committee" shall be omitted

Amendment of section 14. 11. In sub section (4) of section 14 of the Principal Act, the words "or Divisional Committee" shall be omitted.

Amendment of section 19. 12. In section 19 of the Principal Act, the words "or Divisional Committee" shall be omitted.

Amendment of section 20. 13. For section 20 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

"(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the matters which may be, or, are required to be prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid immediately before the Legislative Assembly of the State if it is in session, and if it is not in session, in the session immediately following the date on which such rule is notified."

Amendment of Schedule I. 14. For Schedule I of the Principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

The Investment Promotion Authorities referred to in Chapter II shall receive, process and issue approvals in respect of applications for industrial and other investments in the State of Chhattisgarh, as per the following classification.

**Investment
Promotion
Authority**

State Investment
Promotion Board

District Investment
Promotion
Committee

Limit of Capital Investment

- (i) All Project proposals above Rs. 10.00 crore
(ii) All project proposals below Rs.10.00 crore, where the project area falls in more than one district.
Rs.10.00 crore or below, provided the entire project area falls within the same district."

Amendment of 15.
Schedule II

Schedule-II of the Principal Act, shall be omitted.

Repeal of 16.
Ordinance No. 6
of 2004

Audyogik Nivesh Protsahan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2004 (No. 6 of 2004) is hereby repealed.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(Vimala singh Kapoor)

Deputy Secretary

Chhattisgarh Govt. Law and Legislative Affairs Department